न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील स. 42/2017

शंकरलाल पुत्र भोलूराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीपीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । — अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 18.04.2017 व उप—तहसीलदार राजियासर दिनांक 30.01.2017

उपस्थित:—

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपतहसीलदार राजियासर ने अपीलांट को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के प्रकरण में चक 1 जीपीएम के मु.न. 160/01 की 2.5698ो भूमि पर अतिकमी मानते हुए बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिनांक 30.01.2017 को दिये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील अति0कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की जिसका निर्णय अति0 कलेक्टर द्वारा दिनांक 18.04.2017 को किया जाकर उपतहसीलदार का निर्णय यथावत रखते हुए अतिकमी को दो माह की सिविल कारावाव की सजा से दंडित करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभावक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार ने अपीलांट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये थे जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अति0कलेक्टर सूरतगढ के न्यायालय में अपील पेश की जिनके द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है। उप तहसीलदार द्वारा आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित कियागया था। अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरडी 1985 पेज 583, 1988 आरआरडी पेज 690 के न्याय सिद्धान्त पेश किये ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण साबित होने से एवं पश्चातवर्ती कब्जा साबित होने से उप तहसीलदार द्वारा बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये एवं अति0कलेक्टर ने सिविल कारावास की सजा के जो आदेश दिये है वह उचित होने से अपील अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय अति.कलेक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील के रूप में पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय उपतहसीलदार राजियासर का निर्णय दिनांक 30.01.2017 को यथावत रखते हुए दो माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश दिये । जिनको निरस्त करने हेतु अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों के आधार पर न्यायालय द्वारा सहानुभुति पूर्वक विचार करने का निवेदन किया । राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर कियाकि अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमण रेकार्ड से साबित एवं प्रमाणित है। अतः किसी कानून, न्याय नियम के तहत अपीलांट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः अधी.न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रख जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित है परन्तु अपीलांट एक काश्तकार है उसके प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बेदखली एवं शास्ती का आदेश यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ निरस्त की जाती है कि अपीलांट इस आशय का शपथ पत्र उपतहसीलदार राजियासर को देवे कि व न केवल इस विवादित राजकीय भूमि अपितु किसी भी राजकीय सम्पति पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा विवादित आराजी पर पुनः कब्जा करने की स्थिति में अति० कलक्टर सूरतगढ का आदेश दिनांक 18.04.2017 स्वतः ही Revive माना जाकर उपतहसीलदार राजियासर कार्यवाही करेगें।

निर्णय दिनांक 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर